इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 नवम्बर 2025—अग्रहायण 7, शक 1947

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना, मध्यप्रदेश

मुरैना, दिनांक 22 नवम्बर 2025

अधिसूचना क्र. 99—स्टेनो—न.पा.नि.—2025.— नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 10 (1) की प्रत्यायोजित प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट नगरपालिक निगम के संबंध में सारणी के तत्स्थानी कॉलम (3) में यथानिर्दिष्ट वार्डो की संख्या अवधारित की जाती है:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	नगरपालिक निगम का नाम (2)	वार्डों की संख्या (3)
01	नगरपालिक निगम, भिण्ड	60 (साठ)

सुरेश कुमार, आयुक्त.

Morena, the 22nd November 2025

Noti.No.99-Steno-Municipal Corporation-2025 .– In exercise of the delegated powers under section 10(1) of the Muncipal Corporation Act, 1956, (No. 23 of 1956), the number of wards as specified in the corresponding column (3) of the Table given below is hereby determined in respect of the Municipal Corporation specified un column (2) of the Table below:-

TABLE

Serial Number (1)	Name of Municipal Corporation (2)	Number of Wards (3)
01	Municipal Corporation, Bhind	60 (Sixty)

SURESH KUMAR, Commissioner.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2025.